राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

*ज्योति कुमारी

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी के साथ ही स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। इस नीति में पठन–पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधरित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी–केन्द्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर ज़ोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

मूल शब्द – गुणवत्ता, सॉफ्रट स्किल्स, व्यावसायिक शिक्षा, परख, डिजिटल शिक्षा, मातृभाषा भाषा।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 भारत के इक्कीसवीं सदी के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह अपने दृष्टिकोण में वैश्विक होने के साथ ही भारत केंद्रित भी है। यह मानवाधिकारों, संवहनीय विकास और जीवनशैली तथा वैश्विक कल्याण के लिये प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। इस तरह इसका प्रयास छात्रों को सही मायनों में वैश्विक नागरिक में तब्दील करने का है। साथ ही इसका मकसद छात्रों में विचारों के साथ ही भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने का गहरा गौरव स्थापित करना है। इस नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिये 2040 की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि नयी नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाला बच्चा इसकी प्रक्रियाओं से गुजर कर ही बाहर निकले। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के इस मूल सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के साक्षर बना देने और उन्हें अंक ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों में विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान खोजने तक ही सीमित न रहे बल्कि शिक्षा से सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास भी हो, इन्हें सॉफ्रट स्किल्स कहा जाता है और इनमें सांस्कृतिक चेतना और अनुभूति, दृढ़ निश्चय और विश्वास, टीम भावना, नेतृत्व और संचार जैसे गुणों का विकास भी शामिल है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों की क्षमता के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। संस्थानों में विविध विषय रहेंगे और शिक्षा विज्ञान में भी परिवर्तन लाए जाएंगे जिससे बच्चों को विषय चुनने के अधिक विकल्प प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की विशेषताएं

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में स्कूली शिक्षा एवं

उच्चतर शिक्षा में निम्नलिखित बदलाव किए गए है–

स्कूली शिक्षा में बदलाव

एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन–संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठयक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुहैया कराई जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'एनईपी 2020' में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन नई शिक्षा व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण आयाम हैं, जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्राों के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है। जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ इंटर्नशिप भी होगी।

1. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

2. कक्षा–6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ इंटर्नशिप (Internship) की भी व्यवस्था की जाएगी।

3. 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training-NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।

4. छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा–10 और कक्षा–12 की परीक्षाओं में बदलाव के रूप में भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

5. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक–निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

6 छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence-AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। 'एनईपी 2020' का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर रहेगा जिनमें बालक–बालिका, सामाजिक–सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेंस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक–समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। एनईपी 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। एससीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एसक्यूएएएफ) का विकास करेगा।

उच्चतर शिक्षा में बदलाव

1. एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

2. नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट बिन्दुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।

3. विभिन्न HEI (Higher Education Institutions) से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके।

4. देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के माडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू)स्थापित किए जाएंगे।

5. पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।

6. चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।

7. एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे– विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)।

8. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिये बड़े, साधन संपन्न, गतिशील बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा।

9. महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक राज्य वार तंत्र की स्थापना की जाएगी।

10. एनईपी सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम/अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिये प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है।

11. एनसीईआरटी के परामर्श से, एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफटीई 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी।

12. एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा– जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगें– जो कि विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।

13. एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा।

14. स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई–शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।

15. सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान–प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा।

16. सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई), राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान) की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

17. शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

18. सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहु–विषयक संस्थान बनना होगा।

19. शिक्षा पहले की तरह 'लाभ के लिए नहीं' व्यहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6 प्रतिशत हो सके।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में निम्नलिखित सुझावों को शामिल कर और मजबूत बनाया जा सकता है –

1. **विमुद्रीकरण (Digital Divide):** नीति के साथ, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ, डिजिटल विभाजन को भी ध्यान में रखना होगा और गरीब और अधिकार नहीं रखने वाले छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए सहायता पहुँचाने के उपाय बनाए जाने चाहिए।

2. **शिक्षकों की प्रशिक्षणः** शिक्षकों की प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए समर्थन और संसाधन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है, ताकि वे बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें।

3. **योग्यता और व्यावसायिक शिक्षाः** योग्यता और कौशल विकास को समर्थन देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि छात्र व्यावसायिक कौशलों का सही रूप से सीख सकें और अपने जीवन में उपयोग कर सकें।

4. **शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ाईः** शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ कठिन कदम उठाने चाहिए ताकि हर किसी के लिए अच्छी शिक्षा की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा सिस्टम को मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में सुदृढ़ और सुविकसित बनाना है। इसे सफलता प्राप्त करने के लिए समर्थन, निगरानी, और सामाजिक सहमति की जरूरत होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है। इस नीति में पठन–पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधरित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी–केन्द्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर ज़ोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 भारतीय शिक्षा सिस्टम को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसमें छात्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है, और नए 5+3+3+4 सिस्टम के तहत शिक्षा को विभाजित किया गया है। नीति में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, और छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ, शिक्षकों की प्रशिक्षण और सुधार के लिए भी उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। योग्यता और कौशल विकास को महत्व देने का प्रयास है, और सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ

लड़ाई के उपाय बनाए जाएंगे। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ–साथ, विश्वविद्यालयों को भी सुधारने का प्रस्ताव है। इस नीति का उद्देश्य भारत के शिक्षा सिस्टम को सुधारकर हर छात्र को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

***सहायक आचार्य**
हिन्दी विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
2. https://social.niti.gov.in/education-index
3. https://www.bbc.com/hindi/india-53581084
4. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642109
5. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1642222
6. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/initiatives-under-national-education-policy-2020
7. https://hindi.news18.com/news/education/cbse-to-replace-10-plus-2-format-with-this-recommendations-of-nep-2020-4924735.html
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन (2020), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।
9. योजना पत्रिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फरवरी 2022, वर्ष– 66, अंक–02, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।